

प्रश्नक

निदेशक,  
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक,  
श्री बालाजी प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,  
सुबाय्य झांजहापुर।

पत्रांक: 562 / टी-3/रा090/भा0सं0संस्तुति / लखनऊ दिनांक: 26/7/12

विषय- स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निजी एंटीप्रो केंद्रों के व्यवसाय/युनिटों का स्थायी सम्बन्धन प्रदान किये जाने के बारे में महा निदेशालय संजगर एवं प्रशिक्षण डी0जी0ई0टी0 नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा लिखे गये विचार की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान से सम्बन्धित स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 29-4-2012 पर दिनांक 27-07-2012 को महानिदेशालय सेवायोजन एवं प्रशिक्षण नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद को उप समिति की सेवा सम्पन्न हुई। उप समिति द्वारा आपके संस्थान से सम्बन्धित स्थायी निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिखा गया है उसका उद्धरण व्यवसायवार नीचे अंकित किया जा रहा है:-

क्रम सं०	व्यवसाय/एकक प्लान के लिए संस्थान/केंद्र द्वारा स्थायी सम्बन्धन का अनुरोध किया गया	संस्तुति की गई		अन्युक्ति
		स्थायी समिति द्वारा	डीजी0ई0टी0 द्वारा	
1	2	3	4	5
1-	Fitter 02(1+1)	02(1+1)	02(1+1)	SCIR-29/4/12 W.e.f. Aug 2012
2-	Electrician 02(1+1)	02(1+1)	02(1+1)	
3-	COPA 02(1+1)	NR	NC	
DGET-6/24/218/2112-TC		DATED 27/07/2012		

प्रयोग किये गये संकेत:-

- (1) एन0सी0आई0आर0-स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
- (2) एन0आई0आर0-पूरक निरीक्षण रिपोर्ट
- (3) डी0आई0आर0-विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट
- (4) यू0सी0-विचारार्थीन
- (5) एन0आर0-संस्तुति नहीं किया गया।
- (6) एन0सी0-विचार नहीं किया गया।

2. आपसे अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा बताई गई कमियाँ/दुष्टियों का निराकरण समयान्तर्गत करके अपनी आस्था बिन्दुवार साक्ष्य सहित दो प्रतियों में इस निदेशालय को अविलम्ब प्रेषित करें। ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

विशेष - यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के वांछित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं की गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें; इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को आगामी अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जायेगा, जिसका पूर्ण सन्तर्वापित आपका होगा।

प्रबन्धक  
श्री बालाजी प्राइवेट  
अपर निदेशक (प्रशि/शिक्ष)



पत्रांक: 562 / टी-3/रा090/भा0सं0संस्तुति / लखनऊ दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. संयुक्त निदेशक (प्रशि/शिक्ष) बरेली को इस आशय में प्रेषित कि यह उपरोक्त विभाग बिन्दुवार विचार किया जायेगा तथा संबंधित संस्थान/केंद्र को भी अपने स्तर से अद्वयत कराये।
2. संबंधित संस्थान/केंद्र को व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
3. माई फाइल हेतु।
4. उप निदेशक व्यावसायिक परीक्षा परिषद अलीगंज, लखनऊ।

अपर निदेशक (प्रशि/शिक्ष)